समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

राजसात् वाद संख्या–15/2019–20
जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो (राज्य)
–बनाम्–
कारू साव एवं अन्य
–::आदेश::–

06.12.2022 अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख एवं उसमें संलग्न कागजातों का अवलोकन किया गया। जिला खनन पदाधिकारी–सह–अधियाचना पदाधिकारी, बोकारो के अधियाचना सं0–08, दिनांक–09.08.2019 के द्वारा सूचित किया गया है कि पेटरवार थाना कांड सं0–15/2019, दिनांक–02.03.2019, धारा–379/414 भा0द0वि0 के अन्तर्गत जप्त वाहन (ट्रैक्टर) पंजीयन नं0–JH09AK-7782 एवं वाहन ई0 सं0–NJB2&EE2915 तथा उस पर लदे बालू को अवैध रूप से परिवहन के आरोप में चालक एवं मालिक के विरूद्ध दर्ज किया गया है। फलस्वरूप The Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 के तहत प्रश्नगत वाहन एवं बालु को राजसात् की कार्रवाई करने हेतु यह वाद दायर किया गया है।

उक्त के कम में उक्त के क्रम में राज्य सरकार की ओर से विज्ञ सरकारी अधिवक्ता, बोकारो को सुना गया। विपक्षीगण एवं उनके विद्वान अधिवक्ता सुनवाई के दौरान पुकार पर अनुपस्थित रहे।

राज्य सरकार की ओर से विद्वान सरकारी अधिवक्ता के द्वारा दलील दिया गया कि दिनांक–02.03.2019 को जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो एवं अंचल अधिकारी, पेटरवार के द्वारा अवैध बालु का खनन एवं परिवहन के विरूद्ध छापेमारी के दौरान खेतको पंचायत के दामोदर नदी से आ रही अवैध बालु लदे प्रश्नगत वाहन (ट्रैक्टर) पंजीयन नं0–JH09AK-7782 एवं वाहन ई0 सं0–NJB2&EE2915 को बिना परिवहन चालान के चांदो बारकेंदुआ सीमाना गांव के समीप पकड़ा गया। अवैध तरीके से बालु का परिवहन करना संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। उपरोक्त वर्णित परिस्थिति में अवैध रूप से बालु का खनन/परिवहन के आरोप में Jharkhand Minerals (Prevention

of Illegal Mining, Transportation and Storge) Rules, 2017 के अन्तर्गत विपक्षी को किसी प्रकार की छुट नहीं दी जा सकती है।

पुलिस अधीक्षक, बोकारो के पत्रांक–426/अप0 दिनांक–03.02.2020 के द्वारा सूचित किया गया है कि ट्रैक्टर पंजीयन सं0–JH-09AK-7782 एवं वाहन इंजन सं0–NJB2&EE2915 (बालु छोड़कर) को मान्नीय न्यायालय के द्वारा सशर्त विमुक्त किया जा चुका है।

सरकारी अधिवक्ता की दलील एवं अभिलेख में संधारित अन्य कागजातों के अवलोकन के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि मान्नीय न्यायालय S.D.J.M. Bermo at Tenughat के द्वारा ट्रैक्टर पंजीयन सं0–JH-09AK-7782 एवं वाहन इंजन सं0–NJB2&EE2915 को न्यायिक आदेश पारित कर सशर्त विमुक्त किया जा चुका है। विपक्षी के द्वारा भी इस वाद में कोई अभिरूची नहीं ली जा रही है। इतनी लम्बी अवधि बीत जाने के बाद भी उनके द्वारा अपने बचाव में अब तक किसी भी प्रकार का कोई कारण–पृछा दाखिल नहीं किया गया है। स्पष्टतः उन्हें अपने बचाव में कुछ भी नहीं कहना है। ऐसी स्थिति में इस वाद को आगे बढ़ाने का कोई उचित आधार प्रतीत नहीं होता है। वाहन पर लदा बालु के संदर्भ में अब तक किसी के द्वारा भी दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो के अधियाचना सं0–08, दिनांक–09.08.2019 को आंशिक रूप से स्वीकृत करते हुए जप्त बालु (वाहन छोड़कर) को राज्य सरकार के हित में राजसात् किया जाता है। जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो को निदेश दिया जाता है कि जप्त कुल बालु को निलामी के माध्यम से बिक्री कर प्राप्त राशि नजारत अथवा उचित शीर्ष में जमा करना सुनिश्चत करेंगें। उक्त विवेचन के साथ ही वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

तदनुसार संबंधित को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

06.12.2022	06.12.2022
समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी बोकारो।	समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी, बोकारो।

Digitally signed by VIJAYA NARAYANRAO JADHAV
Date: 2025.02.19 16:36:49 +05:30
Location: 192.168.1.103